कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला गुना (म.प्र.)

कार्यालय : 255626, निवास : 255727, फैक्स : 07542-255408, E-Mail : dmguna@nic.in

क्रमांक 131 /स्टेनो/विविध/2023 गुना, दिनांक 14 /03/2023

प्रति,

Consultant (Judicial)
माननीय राष्ट्रीय हरित विकास प्राधिकारण,
P.B नई दिल्ली

विषय :- माननीय एन.जी.टी. में प्रचलित प्रकरण क्रमांक / 376 / 2022 अंकित शर्मा एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य शासन में पारित आदेश दिनांक 4/7/2022 के पालन में वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध मे ।

संदर्भ :- 1- माननीय एन.जी.टी. से जारी नोटिस दिनांक 18.10.2022 के संबंध में ।
2- कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना का पृष्ठांकन क्रमांक/ व.नि.स/वरिष्ठ - NGT-46/2023/2380 दिनांक 14-3-2023।

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 1 के क्रम में वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(फ्रेंक नोबल.ए)
कलेक्टर
जिला गुना (म.प्र.)

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

रेल्वे स्टेशन रोड, गुना (म.प्र.) 473001

E-mail : dfot.gun@mp.gov.in, Ph. 07542-259650

क्रमांक / व.नि.स. / वरिष्ठ–NGT-46 / 2023/ 2379 गुना दिनांक / 14-03-23

प्रति,

Consultant (Judicial)
माननीय राष्ट्रीय हरित विकास प्राधिकारण
P.B नई दिल्ली

विषयः– माननीय एन.जी.टी. में प्रचलित प्रकरण क्रमांक / 376 / 2022 अंकित शर्मा एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य शासन में पारित आदेश दिनांक 4 / 7 / 2022 के पालन में वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध मे।

संदर्भः– माननीय एन.जी.टी. से जारी नोटिस दिनांक 18.10.2022 के संबंध में।

––––000––––

निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय प्राधिकरण के आदेश दिनांक 04.07.2022 के परिपालन में नोडल अधिकारी वनमण्डलाधिकारी गुना द्वारा दिनांक 26.09.2022 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दिनांक 24.09.2022 के स्थल निरीक्षण में पाये गये अतिक्रमण को स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से बेदखली की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु 08 सप्ताह का समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया था। उक्त संबंध में आगामी की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है–

1. दिनांक 29.09.2022 को उप वनमण्डलाधिकारी बीनागंज, तहसीलदार मय राजस्व टीम राघौगढ़, वन परिक्षेत्राधिकारी आरोन मय स्टाफ के मौके पर बेदखली की कार्यवाही हेतु पहुंचे। शिकायत स्थल का राजस्व टीम राघौगढ़ एवं वन विभाग के द्वारा घूमफिर कर संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें प्रश्नाधीन स्थल वन मानचित्र (नक्शा) अनुसार कक्ष क्रमांक P-155 का वन क्षेत्र तथा वर्तमान राजस्व नक्शा अनुसार सर्वे क्रमांक 52 / 3 रकवा 2.090 हे. के अन्तर्गत होना पाया गया। परन्तु कार्यवाही के समय बारिश के चलते नाले में अधिक पानी होने के कारण विस्तृत सर्वेक्षण नहीं हो सका तथा नव दुर्गा त्योहार के चलते पुलिस बल भी उपलब्ध न होने के कारण बेदखली कार्यवाही नहीं हो सकी। मौके पर संयुक्त टीम द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त स्थल की राजस्व अथवा वनभूमि होने के संबंध में वन / राजस्व अभिलेखों से स्थिति स्पष्ट होने, बारिश पूरी तरह बंद होने एवं पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध होने पर बेदखली कार्यवाही की जावेगी। (संलग्न–पंचनामा परिशिष्ट–1)

2. दिनांक 27.11.2022 को वन विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा पुनः मौका स्थल पर पहुंचकर अतिक्रमणकर्ता सुरेश पुत्र मांगीलाल अहिरवार द्वारा अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमण बेदखली की कार्यवाही हेतु स्थल का संयुक्त सर्वे किया जिसमें वन विभाग की ओर से वन परिक्षेत्र अधिकारी आरोन व अन्य वन स्टाफ तथा राजस्व विभगा की ओर से राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी आदि उपस्थित रहे। संयुक्त सर्वे में पाया गया कि प्रश्नाधीन क्षेत्र राजस्व नक्शा अनुसार सर्वे क्रमांक 52 / 3 रकबा 2.090 हे. जो कि राजस्व अभिलेख में दिमान सिंह पुत्र बलभद्र सिंह हिस्सा 1 / 2, श्रीकिशन, रघुवीर, भगवानसिंह, मूलचंद, केरसिंह पुत्रगण इमरतबाई हिस्सा 1 / 2 जाति अहीर निवासी जैतपुर के नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है। मौका स्थल पर इस सर्वे क्रमांक की सीमा के अन्दर सुरेश पुत्र मांगीलाल अहिरवार अतिक्रमणकर्ता के 3 कच्चे टपरे बने हुए व उसी सर्वे नम्बर में कुआ का निर्माण पाया गया। यह भूमि वनखण्ड सीमा के अन्दर होकर निजी भूमि होना पायी गई। (संलग्न– पंचनामा परिशिष्ट–2)।

3. अतिक्रमणकर्ता सुरेश पुत्र मांगीलाल का उक्त सर्वे क्रमांक 52 / 3 की सीमा के बाहर भी लगभग 0.3 हे. क्षेत्र में वनभूमि पर पूर्व का अतिक्रमण पाया गया जो कि उक्त व्यक्ति के विरूद्ध पूर्व में दर्ज वन अपराध प्रकरण पी.ओ.आर क्र. 110 / 27 दिनांक 19.08.2021 (रकवा 0.418 हेक्टर) में शामिल है एवं उक्त अतिक्रामक के विरूद्ध वनमण्डल गुना के आदेश क्र. / मा.चि. / 1521 दिनांक 01.08.2022 से बेदखली आदेश भी जारी किया गया है, को बेदखली की कार्यवाही हेतु चिन्हित किया गया। (संलग्न– पंचनामा परिशिष्ट–3)।

4. वर्तमान स्थिति में वन विभाग द्वारा दिनांक 14.03.2022 को कार्यवाही करते हुए अतिक्रामक सुरेश पुत्र मांगीलाल अहिरवार की पूर्व चिन्हित की गई अतिक्रमित वनभूमि पर अतिक्रमणरोधी खंती खुदवाई गई तथा अतिक्रमित क्षेत्र को पूर्णतः बेदखल कर वन विभाग के अधिपत्य में लिया गया। प्रश्नाधीन कुआ एवं 3 कच्चे टपरे वन खण्ड के अन्दर निजी भूमि पर स्थित होने के कारण बेदखली की कार्यवाही नहीं की गई है। प्रकरण में एक अन्य अतिक्रमणकारी रामभान यादव जिसके विरूद्ध वन अपराध प्रकरण पी.ओ.आर क्र. 110/21 दिनांक 06.03.2021 जारी है एवं इसके विरूद्ध वनमण्डल गुना के आदेश क्र./मा.चि./1520 दिनांक 01.08.2022 से बेदखली आदेश जारी किया गया है, द्वारा वर्तमान में स्थल पर कोई फसल आदि बोया जाना नहीं पाया गया। वन परिक्षेत्राधिकारी आरोन द्वारा संबंधित वन स्टाफ को मौके पर निर्देशित किया गया कि उक्त भूमि को पूर्णतः वन विभाग के अधिपत्य में लेकर निरंतर निगरानी रखी जावे ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार की फसल अथवा कृषि कार्य कर अतिक्रमण न किया जा सके साथ ही निर्देशित किया गया कि बारिश के पूर्व उक्त भूमि में खैर, बबूल के बीजों का छिड़काव किया जाये। (संलग्न– पंचनामा परिशिष्ट–4 एवं 5 एवं फोटो–03)।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

क्रमांक/व.नि.स./वरिष्ठ–NGT-46/2023/2380 गुना दिनांक/14-03-23

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक शिवपुरी वृत्त शिवपुरी की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. कलेक्टर जिला गुना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

C:\Users\sai\Desktop\NGT 376.pdf.docx

दिनांक - 29/09/2022
समय - 12:30 pm
स्थान - बीट मिर्जापुर (ब)

पंचनामा

हम सभी पंचगण नीचे हस्ताक्षर निशानी अंगूठा करने वाले सही-सही तस्दीक कर यह पंचनामा लिखा देते हैं। कि आज दिनांक 29/09/2022 को माननीय NGT के आदेश के पालन में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी आरोन के पत्र क्र० 1372 दिनांक 23/09/2022 के पालनार्थ वनपरिक्षेत्र आरोन की बीट मिर्जापुर (ब) के कक्ष क्र० P155 में श्री मान उपवनमण्डलाधिकारी बीनागंज तहसीलदार मय राजस्व टीम राघौगढ़, वनपरिक्षेत्राधिकारी आरोन मय स्टाफ के मौके पर बेदखली कार्यवाही हेतु आये। मौके पर उक्त स्थल जिसकी शिकायत की गई है। का राजस्व टीम राघौगढ़ एवं वन विभाग टीम द्वारा घुम फिर कर संयुक्त निरीक्षण किया गया। मौके पर उक्त स्थल बीट नक्शे के अनुसार कक्ष क्र० P155 का वन क्षेत्र तथा वर्तमान राजस्व नक्शे अनुसार सर्वे न० 52/3 रकबा 2.090 हे० पाया गया। तथा राजस्व नक्शे अनुसार तहसील राघौगढ़ राजस्व सीमा के अंतर्गत पाया गया। साथ ही बारिश के चलते नाले में अधिक पानी होने तथा नवदुर्गा त्यौहार के चलते पुलिस बल उपलब्ध ना हो पाने के कारण कार्यवाही नहीं हो पाई। मौके पर निर्णय लिया गया कि उक्त स्थल की राजस्व-वन स्थिति स्पष्ट कर तथा बारिश पूरी तरह बंद होने पर एवं पर्याप्त पुलिस बल
उपलब्ध होने पर बेदखली कार्यवाही की जावेगी।

मौका पंचनामा लिखा गया सो सही है। वक्त जरूरत काम आवे।

पंचनामा मेरे द्वारा लिखा गया
Nishant Jain
निशान्त जैन (वन)
बीटगार्ड पुरासहरोड़

R.O. Aron
29/09/2022

S.D.O. बीनागंज
29/09/2022

Teh. Raghavgarh
29/09/2022

वनरक्षक
29/9/22

राजा रघुवंशी
बीटगार्ड - मिर्जापुर ब.

29-09-2022

पंचनामा

हम सभी पंचान आज दिनांक 27/11/2022 को श्री मान तहसीलदार महोदय के आदेशानुसार माननीय एन.जी.टी. प्रकरण क्रमांक 376/2022 में दिनांक 04/07/2022 को पारित आदेश के पालन में वन परिक्षेत्र आरोन के वन कक्ष क्रमांक पी 155 में अतिक्रमण बेदखली के संबंध में श्री मान वन परिक्षेत्र अधिकारी महो. आरोन एवं अन्य स्टाफ एवं राजस्व निरिक्षक वृत्त 02 तहसील राघोगढ़ एवं ग्राम पटवारी रवैराई मय ग्राम कोटवार के साथ मौके पर उपस्थित होकर अतिक्रमण कर्ता सुरेश पुत्र मांगीलाल अहिरवार द्वारा अतिक्रमण से बेदखल करने की कार्यवाही हेतु मौका पर राजस्व एवं संयुक्त वन दल की उपस्थिति में मौका पर राजस्व नक्शा से सर्वे क्र. 52/3 रकबा 2.090 हे. भूमि जो कि दिमान सिंह पुत्र बलभद्र सिंह हि. 1/2 श्री किशन रघुवीर भगवान सिंह फूलचंद केरसिंह पुत्रगण इमरतवर्ष हि. 1/2 जाति अहिर निवासी गैतपुर भूमिस्वामी के नाम से दर्ज है जो कि राजस्व नक्शा में लाल स्याही बटांकन सर्वे न. 52/3 के रूप में बना हुआ है जो कि दिनांक 29/05/2009 द्वारा लाल स्याही बटांकन स्वीकृति नक्शा में दर्ज है। राजस्व एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी संयुक्त दल के समक्ष अतिक्रमण कर्ता सुरेश पुत्र मांगीलाल अहिरवार की जाँच की गई जो कि मौका स्थल पर 52/3 की सीमा के अंदर उसका मकान (कच्चे खपरा) बना हुआ है व इसी सर्वे नम्बर के अन्तर्गत कुआ का निर्माण है एवं कृषि कार्य कर रहा है उक्त मकान से वन सीमा के उत्तर दिशा में 225 फीट एवं पश्चिम दिशा में 225 फीट एवं दक्षिण दिशा में 450 फीट के बाद वन सीमा राजस्व नक्शा के अनुसार इतनी दूरी से शुरू होती है। अतः पंचनामा मौके पर तैयार किया गया जो कि सही है वक्त जरूरत काम आवे।

(हस्ताक्षर) पं.लि.-पटवारी
27/11/22

(हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)
राजा रघुवंशी
वीरगढ़ - रिजपुर न.

(हस्ताक्षर)
प.17
27/11/22

(हस्ताक्षर)
R.O. Aron
27/11/2022

राधेश्याम
(कोटवार)

परिशिष्ट–3

पंचनामा

हम पंचान नीचे हस्ताक्षर, अंगूठा निशानी करने वाले सही-सही यह पंचनामा लिख देते है कि आज दिनांक 27/11/22 को वन परिक्षेत्राधिकारी आरोन, परिक्षेत्र सहायक बरखेड़ाहाट, बीटगार्ड मिर्जापुर 'ब' एवं अन्य वन स्टाफ बीट मिर्जापुर 'ब' के कक्ष क्र. P-155 में वन-राजस्व विभाग की टीम के द्वारा सुरेश पुत्र मांगीलाल अहिरवार द्वारा अतिक्रमित भूमि के संयुक्त सर्वे तथा सर्वे क्र. 52/03 एवं वन सीमा चिंहाकन के पश्चात सर्वे क्र. 52/03 की सीमा के बाहर वन क्षेत्र में भी लगभग 0.3 हे. क्षेत्र में सुरेश पुत्र मांगीलाल अहिरवार का अतिक्रमण पाया गया जो कि उक्त व्यक्ति के विरुद्ध पूर्व में दर्ज वनापराध प्रकरण POR क्र. 110/27 दिनांक 19/08/21 (रकबा 0.418 हे.) में शामिल है एवं उक्त अतिक्रामक के विरुद्ध वन मंडल गुना के आदेश क्र./मा.चि./1521 दिनांक 01/08/2022 से बेदखली आदेश भी जारी किया गया है, को बेदखली की कार्यवाही हेतु चिंहित किया गया।

मौका पंचनामा बनाया गया, पढ़कर सुनाया जो सही है। वक्त जरूरत काम आवे।

पंचनामा मेरे द्वारा
लिखा गया।

R.O. Aron
27/11/22

27.11.22
संजय ओझा (व.र.)
बीटगार्ड मिर्जापुर 'ब'

रामा रघुवंशी
बीटगार्ड मिर्जापुर 'ब'

Nishant Jain
निशान्त जैन (व.र.)
बीटगार्ड पुरासलोन

पी. जवरकिमार

Vishal
विशाल राठौर
बीटगार्ड-आरोन-अ
27/11/22

परिशिष्ट–4

पंचनामा   स्थान - कक्ष क्र. PF-155

दिनांक - 14/03/2023

हम पंचगण नीचे हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा करने वाले सही-सही पंचनामा लिखा देते हैं कि आज दिनांक 14/03/23 को वन परिक्षेत्राधिकारी आरोन परिक्षेत्र सहायक खरखेड़ाहार, एवं अन्य वनस्टाफ के साथ बीट मिर्जापुर (ब) के कक्ष क्र. PF 155 में पहुंचे। मौके पर सुरेश पुत्र मांगीलाल अहिरवार के आधिपत्य वाली भूमि जिसके सम्बंध में माननीय NGT के प्रकरण क्रमांक 376/2022 प्रचलित है। तथा जिस भूमि का दिनांक 24/11/22 को वन राजस्व टीम द्वारा संयुक्त सर्वे किया गया था। तथा वन राजस्व सीमा निर्धारित कर चिन्हांकित की गयी थी। उक्त सीमा से वनक्षेत्र की ओर सुरेश पुत्र मांगीलाल अहिरवार का लगभग 1¼ बीघा क्षेत्र में खरीफ के मौसम में बोयी गयी मक्के के ठूंठ पाये गये। उक्त भूमि पर वर्तमान में रबी की कोई फसल बोयी नहीं पायी गयी। उक्त अतिक्रमण के सम्बंध में पूर्व में POR प्रकरण क्र. 110/27 दि. 19/08/2021 जारी कर बेदखली आदेश क्र./ मा.चि./1521/गुना 01/8/22 जारी करा कर अतिक्रामक को वितरित किया गया था। चिन्हांकित वन राजस्व सीमा पर आज दिनांक को खंती खुदवायी जाकर वनक्षेत्र की ओर अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमणरोधी खंती खुदवायी गयी तथा अतिक्रमित क्षेत्र को पूर्णतः वनविभाग के आधिपत्य में लेकर बेदखल किया गया। 03 बने छप्पर तथा कुंआ राजस्व सीमा में निजी भूमि में पाये गये। अतः उन्हें बेदखल नहीं किया गया।

मांगीलाल पुत्र अहिरवार

पंचनामा मेरे द्वारा लिखा गया।

H.K. Gautam
Forester
R.A. Aron
14/03/2023

प.स. खरखेड़ाहार
14/3/23

R.O. [illegible]
14/03/2023

हरेन्द्र साहू (व.र.)

रघुवंशी
बीटगार्ड मिर्जापुर वनरक्षक

Vitthal
विठ्ठल मीना (व.र.)
बीट आमखेड़ा
14.3.23

संजय ओझा (व.र.)
बीटगार्ड मिर्जापुर 'अ'

Nishant Jain
निशान्त जैन (व.र.)
बीटगार्ड पुरासखरोज

Vitthal
विठ्ठल शर्मा
बीटगार्ड आमखेड़ा

परिशिष्ट–5

पंचनामा

स्थान - कक्ष क्र. P155
दिनांक - 14/03/2023

हम सभी पंचगण नीचे हस्ताक्षर निशानी अंगूठा करने वाले सही - सही तस्दीक कर यह पंचनामा लिखा देते हैं। कि आज दिनांक 14/03/2023 को श्रीमान वनपरिक्षेत्राधिकारी महो. आरोन के हमराह वनस्टाफ बीट मिर्जापुर (ब) के कक्ष क्र. P155 में पँहुचे। तथा माननीय NGT में प्रचलित प्रकरण क्र. 376/2022 में उल्लेखित अतिक्रमित वन भूमि जिसका पूर्व मे P.O.R. प्रकरण क्र. 110/21 दि. 6/3/21 में आरोपी - रामभान निवासी लहूया के विरूद्ध 1.440 है. वन भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में दर्ज किया गया. पर पँहुचे मौके पर वर्तमान में कोई फसल नहीं पाई गई। वनपरिक्षेत्राधिकारी आरोन द्वारा संबंधित वन स्टाफ को मौके पर निर्देशित किया गया। कि उक्त भूमि को पूर्णतः वन विभाग के अधिपत्य में लेकर निरंतर निगरानी रखी जावे। ताकि उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार की फसल अथवा कृषि कार्य कर अतिक्रमण न किया जा सके। साथ ही निर्देशित किया गया कि बारिश के पूर्व उक्त भूमि में खैर - बबूल के बीजो का छिड़काव किया जावे।

मौका पंचनामा लिखा गया सो सही है। वक्त जरूरत काम आवे।

पंचनामा मेरे द्वारा लिखा गया।

Nishant Jain
निशान्त जैन
बीटगार्ड

R.O. Aron
14/3/2023

Forester
R.A. Aron
14/03/2023

14.3.23
संजय ओझा (व.र.)
बीटगार्ड मिर्जापुर 'ब'

Vitthal
विट्ठल मीना (व.र.)
बीट - भजौर (ब)

Vithal
बीटगार्ड
14/03/2023

हृदेश (व.र.)
बीट - गौरखं

राजा रघुवंशी
बीटगार्ड

प.प. वरजोरा
14/3/23

Latitude: 24°26'37"
Longitude: 77°16'36"
Elevation: 446.26±49 m
Accuracy: 12.0 m
Time: 03-14-2023 18:23
Note: ngt
Powered by NoteCam

Latitude: 24°26'37"
Longitude: 77°16'36"
Elevation: 446.25±140 m
Accuracy: 12.1 m
Time: 03-14-2023 18:23
Note: ngt
Powered by NoteCam

JCB